भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

निगरानी 1281-I-15

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

अजित कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री प्रेमचन्द जैन निवासी– ग्राम बगौता, हाल दूधनाथ मंदिर के पास, तहसील व जिला छतरपुर, म0प्र0 ---आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ---अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 29/09/2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर सम्भाग सागर प्रकरण क्रमांक 707/अपील/अ–19 वर्ष 2011–12 व उनवान अजित कुमार जैन बनाम म0प्र0 शासन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आावेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम बगौता पटवारी हल्का क्रमांक 37, राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर में आराजी खसरा नं0– 1846/3 रकवा 0.785 खसरा नं0– 1846/5 रकवा 1.376 एवं खसरा नं0– 1846/6 रकवा 1.311 हैक्टर स्थित है। शासकीय राजस्व

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1281/I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.7.16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 707/अ–19/वर्ष 11–12 में पारित आदेश दिनांक 29/02/12 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा क्र 1846/4 रकवा 0.866 हे भूमि पर आवेदक के पिता के कब्जे की भूमि थी तथा वर्ष 1980–81 से 83–84 तक एंव वर्ष 2006–07 के राजस्व अभिलेख में भी उक्त तथ्य का इन्द्राज है। हल्का पटवारी द्वारा तदसंबंध का प्रतिवेदन तहसीलदार छतरपुर को प्रेषित किया गया जिस कारण से आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे कलेक्टर छतरपुर द्वारा सरसरे तौर पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी परंतु अपर आयुक्त सागर द्वारा अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किए बिना अपना आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका क्र 822/14 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/1/14 को अपना अंतिम आदेश पारित कर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिसके परिपालन में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है कि भूमि खसरा 1846/4 उसकी निजी स्वामित्व की भूमि खसरा क्र 1846/3, 1846/5 एंव 1846/6 के मध्य में स्थित है जिस कारण से खसरा क्र 1846/4 पेंच के रूप में है तथा उक्त भूमि अंसिचिंत भूमि है जिस पर पहुॅचने हेतु कोई सर्वजानिक अथवा शासकीय मार्ग नहीं है एंव किसी अन्य व्यक्ति का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हित नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार	

 निग०- 1281-I/15 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
	किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/1/14 के पालन में प्रकरण में कारित हुए विलंब का क्षमा कर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किया जा रहा है। प्रकरण में यह र्निविवादित तथ्य है कि भूमि खसरा क्र 1846/3, 1846/5 एंव 1846/6 आवेदक की सहखाते की भूमियां है तथा प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 1846 का ही एक बटांक है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक के पिता व उसका प्रश्नाधीन भूमि पर अनेक वर्षों से कब्जा भी चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की भूमियों के मध्य स्थित है जबकि आवेदक निरंतर अधीनस्थ न्यायालयों व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लेख करता रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि उसकी भूमि के मध्य स्थित है तथा उस पर कोई पहुॅच मार्ग नहीं है। आवेदक द्वारा तदसंबंध का शपथपत्र भी इस न्यायालय में समक्ष तर्क के दौरान प्रस्तुत किया गया है। यदि अपीलीय न्यायालय अथवा विचारण न्यायालय आवेदक के कथन से सहमत नहीं थे तब आवेदक के कथनों के खण्डन में उन्हे राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से तदसंबंध का प्रतिवेदन प्राप्त कर अपना आदेश पारित करना चाहिए था जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का बंटनआवेदक के पक्ष में किया जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/9/2012 एंव कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/07/2011 निरस्त किए जाते है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	